

अधिसूचना संख्या 57/2020 [फा. सं. 225/98/2019-आईटीए-II], दिनांक 30-7-2020

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (I) के खंड (ए) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए महानिदेशक/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्दिष्ट करती है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 28.07.2000 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. संख्या 73 आई (ई) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकरण,

- (i) एक राय बनाने के बाद केवल प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्रस्तुत करें कि ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि उपरोक्त अधिसूचित प्राधिकारी अपने द्वारा प्रशासित कानून के तहत अपने कार्यों को करने में सक्षम हो सके; और
- (ii) प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करें।